राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/बारां/2010 जयपुर, दिनांक : 19/8/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बारां।

विषय :– बारां जिले में निवासरत "खैरूआ" जनजाति को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ :– कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 10.05.2011 एवं 16.06.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा बारां जिले में निवासरत सहरिया जाति के परिवारों द्वारा 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इस संबन्ध में जिले में निवासरत खैरूआ जनजाति के परिवारों को भी संदर्भित पत्र की शर्तों के आधार पर ही महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें संदर्भानुसार जारी पत्र के अनुसार रहेंगी।

उक्त निर्देश वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 101102800 दिनांक 12.08.2011 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।

भवदीय

19/8/12

(रामनिवास मेहता)
परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस